सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा विधायिका

संदर्भ-

पिछले 6 माह में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों पर चार ऐतिहासिक निर्णय दिए गए, जिसमें समलैंगिगता संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, धारा-497 विवाहेत्तर संबंध, सबरीमाला में सभी महिलाओं का प्रवेश, आधार की संवैधानिकता को बनाए रखना शामिल हैं।

इसके अलावा राफेल व सीबीआई मुद्दे पर भी फैसला दिया। जो विवादास्पद रहे।

- 2018-19 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए फैसले धन विधेयक की कानूनी स्थिति और केन्द्र सरकार तथा दिल्ली सरकार के बीच सत्ता के वितरण पर फैसला महत्वपूर्ण रहे। ये निर्णय संवैधानिक संरचना, राज्य के विभिन्न अंगों के बीच शिक्त संतुलन, संघीय चिरित्र व लोकतांत्रिक जवाबदेयता से संबंधित थे।
- मौलिक अधिकार व राज्य के खिलाफ इसे लागू करने की शिक्त न्यायपालिका की इच्छा पर निर्भर करते हैं। संविधान द्वारा राज्य के विभिन्न अंगों के बीच राजनीतिक शिक्त को विभाजित किया जाता है, तािक किसी एकािधकार से बचा जा सके। इस हेतु संविधान के विभिन्न अंग एक-दूसरे पर 'जांच एवं संतुलन' (Check and Balance) का काम करते है।
- शिक्तयों के संकेद्रण से बचने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया हैं। लोकतांत्रिक-व्यवस्था में यह व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करता है।
- **मनी बिल** आधार- बिल को पास करने के लिए <mark>उसे धन</mark> विधेयक के रूप में लाया गया।
- मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में पास करने की आवश्यकता होती है। संविधान के अनुच्छेद 110(A) के तहत मनी बिल वो विधेयक होता है, जिसमें केवल धन से जुड़े राजस्व व खर्चें से संबंधित प्रावधान होते हैं। ऐसे विधेयकों पर राज्यसभा में चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं।
- द्विसदनीय व्यवस्था संविधान का बुनियादी ढांचा है, लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देते है, तब वह बिल अधिनियम बनता है।
- राज्यसभा का उद्देश्य, लोकसभा के विधेयकों की जांच करना व संतुलन स्थापित करना है। अन्य उद्देश्य <mark>लोकस</mark>भा में बहुमत प्राप्त दल के एकाधिकार को संतुलित करना है।
- 1980 में दल-बल विरोधी जैसे नवाचार नियम आने के बाद राज्यसभा की भूमिका और महत्त्वपूर्ण हो जाती है। 1980 के पहले सांसदों को बिल पर अपनी राय देने की आजादी होती थी वह सरकार के पक्ष या विपक्ष में मतदान कर सकते थे। इस व्यवस्था में सांसदों की किसी बिल पर अपनी राय रखने के लिए खरीद लिया जाता था। इस स्थिति से बचने के लिए 1980 में दल-बदल विरोधी अधिनियम लाया गया।
- 1980 में दल-बदल विरो<mark>धी अधिनियम आने के बाद, सांसदों को पार्टी के व्हिप के अनुसार</mark> ही मत देना होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया <mark>जाएगा। इस नियम के बाद राज्यसभा की भूमिका, जांच व</mark> संतुलन हेतु और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
- आधार मामले में सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया था कि यूआईडीएआई (UIDAI) का वित्त पोषण भारत की संचित निधि से किया जाता है इसलिए इसे मनी बिल की तरह पेश किया गया। इस निर्णय में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राज्यसभा की भूमिका को प्रभावित किया।
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय- किसी साधारण बिल को मनी बिल घोषित करना राज्य सभा के अधिकारों का हनन है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 110(A) के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह अधिनियम गैर-संवैधानिक है।
- आधार एक्ट को मनी बिल की तरह पास करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था।
- **संघवाद** केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के बीच उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। इस विवाद का कारण संविधान के अनुच्छेद 239(AA) का अस्पष्ट होना था।
- जुलाई 2018 इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- फरवरी 2019 में दिल्ली में अधिकारियों के हस्तांतरण की शक्तियों के संबंध में निर्णय दिए गए।
- इस विवाद में एक मुद्दा दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर की शक्ति किसके पास होगी। जो जजों की पीठ में एक

- तिर्माण IAS जज ने निर्णय दिया कि संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारियों की ट्रांसफर की शक्ति लेफ्टिनेंट गर्वनर के पास होगी। दुसरे जज के अनुसार दिल्ली सरकार के पास अधिकारियों के ट्रांसफर की कोई शक्ति नहीं होगी।
- फरवरी 2019 में आया यह निर्णय अस्पष्ट था, क्योंकि, जुलाई 2018 में दिए गए निर्णयों ने चुनी हुई सरकार को प्राथमिकता होगी। दिल्ली सरकार एक चुनी हुई सरकार है और इसे अधिकारियों को ट्रांसफर करने का अधिकार होना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- 1. उच्चतम न्यायलय द्वारा केवल दो-या-दो से अधिक राज्यों के मध्य विवादों का ही निपटारा किया जाता है।
- 2. साधारण बिल को मनी बिल घोषित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार प्राप्त है।
- 3. न्यायिक पुनर्राविलोकन और न्यायिक सिक्रयता की अवधारणा क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड के संविधान से ली गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) /1 और 2
- (b) क्रेवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) उपर्युक्त सभी

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न- न्यायपालिका द्वारा हाल ही में दिए गए कुछ निर्णयों से प्रतीत होता है कि कहीं-कहीं न्यायपालिका न्यायिक अति सिक्रयता की ओर अग्रसर हो रही है, इससे शिक्तयों का पृथक्करण प्रभावित हो रहा है। सिमीक्षा कीजिए।

PAF THE BE